

**BUREAU OF INDIAN STANDARDS  
DELHI BRANCH OFFICE – II**

**Our Ref: DLBO-II/A-85000942**

**Date: 02-08-2023**

DLBO-II has received an application under Option 1 for grant of licence to use of BIS standard mark on the product POTABLE WATER BOTTLES (COPPER, STAINLESS STEEL, ALUMINIUM) as per IS 17803:2022.

As per the information obtained from BIS Website/ Intranet, Circulars of CMD's to ROs/ BOs, the following is observed:

1. No BIS licence exists for the above-mentioned product.
2. Marking fee not available for the product.
3. Product Manual with SIT & Grouping guidelines is available for the product.
4. No test facility exists at any BIS laboratory or any BIS recognized laboratory.
5. As per BIS intranet circular dated 30-05-2023, one application was received at Chennai Branch Office.

In the view of above, the application may be considered for grant of All India First licence for the above product.

All ROs and BOs are requested to send information regarding the above product by mail with respect to any application pending at their end or any other information which may be helpful to process this application.

CMD-III is requested to provide us with relevant latest guidelines, Marking Fee if any prevailing for the product.

All labs/ LRMD is requested to confirm the availability of testing facilities & testing charges as per IS 17803:2022.

  
Satyabrata Bisoi  
Scientist -C

Head (DLBO-II)

DDG(CRO)

Head (CMD-III)

Head (LRMD)

All RO's & BO's ITSD- For circulation on intranet

भारतीय मानक ब्यूरो  
दिल्ली शाखा कार्यालय - II

दिनांक: 02-08-2023

संदर्भ: DLBO-II/A-85000942

डीएलबीओ-II को आईएस 17803:2022 के अनुसार उत्पाद पेयजल की बोतल ( कॉपर, स्टेनलेस स्टील, अल्युमिनियम मिमनयि ) पर बीआईएस मानक चिह्न का उपयोग करने के लिए लाइसेंस देने के लिए विकल्प 1 के तहत एक आवेदन प्राप्त हुआ है।

बीआईएस वेबसाइट/इंटरनेट से प्राप्त जानकारी, सीएमडी के आरओ/बीओ को परिपत्रों के अनुसार, निम्नलिखित देखा गया है:

1. उपर्युक्त उत्पाद के लिए कोई बीआईएस लाइसेंस मौजूद नहीं है।
2. उत्पाद के लिए अंकन शुल्क उपलब्ध नहीं है।
3. उत्पाद के लिए एसआईटी और ग्रुपिंग दिशानिर्देशों के साथ उत्पाद मैनुअल उपलब्ध है।
4. किसी भी बीआईएस प्रयोगशाला या किसी बीआईएस मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में कोई परीक्षण सुविधा मौजूद नहीं है।
5. बीआईएस इंटरनेट परिपत्र दिनांक 30-05-2023 के अनुसार, चेन्नई शाखा कार्यालय में एक आवेदन प्राप्त हुआ था।

उपरोक्त के मद्देनजर, उपरोक्त उत्पाद के लिए ऑल इंडिया फर्स्ट लाइसेंस देने के लिए आवेदन पर विचार किया जा सकता है।

सभी क्षेत्रीय और शाखा कार्यालय से अनुरोध है कि वे अपने स्तर पर लंबित किसी भी आवेदन या किसी अन्य जानकारी के संबंध में उपरोक्त उत्पाद के बारे में मेल द्वारा जानकारी भेजें जो इस आवेदन को संसाधित करने में सहायक हो सकती है।

सीएमडी-III से अनुरोध है कि वह हमें प्रासंगिक नवीनतम दिशानिर्देश, मार्किंग शुल्क, यदि उत्पाद के लिए कोई प्रचलित है, प्रदान करें।

सभी प्रयोगशालाओं/एलआरएमडी से अनुरोध है कि वे आईएस 17803:2022 के अनुसार परीक्षण सुविधाओं और परीक्षण शुल्क की उपलब्धता की पुष्टि करें।

सत्यव्रत विसोई  
04/8/23  
सत्यव्रत विसोई  
वैज्ञानिक-सी

प्रमुख (डीएलबीओ-II) 20/8/23

उप महानिदेशक (सीआरओ)

प्रमुख (सीएमडी-III)

प्रमुख (एलआरएमडी)

सभी आरओ और बीओ का आईटीएसडी- इंटरनेट पर संचलन के लिए